International Journal of Advanced Research and Development
ISSN: 2455-4030
Impact Factor: RJIF 5.24
www.advancedjournal.com
Volume 3; Issue 2; March 2018; Page No. 801-803

शांति और सतत् विकास के लिए लैंगिक समानता

रेणु
B.Ed. Teacher, G.G.S.S.S. Sindhvi Khera, Jind, Haryana, India

सारांश
आज हमारा समाज यद्यपि आधुनिक बनता जा रहा है परन्तु इस आधुनिकता के बावजूद भी कुछ पुरानी रूढ़ियों में जकड़ा हुआ है। हिन्दु धर्म में लक्ष्मी, दुर्गा और सरस्वती की पूजा की जाती है परन्तु फिर भी लड़की को लड़के से कम आंका जाता है। जन्म के बाद से ही लड़की को यह अहसास दिलाना शुरू कर दिया जाता है कि 'वह एक लड़की है' और उसे सबकी बात माननी पड़ेगी यानि लड़की होना ही उसका अपराध है अर्थात् हमारी मानसिकता ही इस भेदभाव का कारण है। हमें यह समझना होगा कि प्रकृति ने जब किसी में कोई भेदभाव नहीं किया तो हम क्यों करे और समाज में इस मानसिकता का जन्म तभी होगा जब हर व्यक्ति समाज में लड़की को लड़के के बराबर अधिकार व सम्मान मिल पाएगा।

मूल शब्द : सशक्तिकरण, यथार्थतः, पारिश्रमिक, आकृष्ट, आपदा–प्रबंधन, महिलोन्मुखी, प्रतिबद्धता, कार्यान्वयन।

प्रस्तावना
लिंग बोध या जेंडर एक ऐसा शब्द है जिसे आप सभी अक्सर सुनते हैं। ऐसा लगता है कि इसका हमारे जीवन से खास लेना–देना नहीं है और हम प्रशिक्षण कार्यक्रमों में ही इसकी चर्चाएँ सुनते हैं। वास्तव में तो हम सभी अपने जीवन में रोज ही इस सत्य का अनुभव करते हैं। लिंग बोध या जेंडर की हमारी समझ हमारे अपने परिवार और समाज से ही बनती है। यह हमें उस दिशा में सोचने के लिए प्रेरित करता है कि हम औरतों और पुरूषों को जो भूमिकाएँ अपने आस–पास निभाते हुए देखते हैं वे स्वाभाविक हैं और पहले से तय हैं अतः लिंग बोध से हमारा आशय उन अनेक सामाजिक मूल्यों और रूढ़िवादी धारणाओं से है जिसे हमारी संस्कृति ने हमारे स्त्रीलिंग और पुल्लिंग होने के जैविक अंतर के साथ जोड़ दिया है। यह शब्द हमें बहुत सी असमानताओं और स्त्री व पुरूष के बीच के शक्ति संबंधों को भी समझने में सहायता करता है।

समानता
सामाजिक सन्दर्भों में समानता ुनंसपजलद्ध का अर्थ किसी समाज की उस स्थिति से है जिसमें उस समाज के सभी लोग अधिकार या प्रतिष्ठा रखते हैं। सामाजिक समानता के लिए 'कानून के सामने समान अधिकार' एक न्यूनतम आवश्यकता है जिसके अन्तर्गत सुरक्षा, मतदान का अधिकार, भाषण की स्वतन्त्रता, एकत्र होने की स्वतन्त्रता, सम्पत्ति अधिकार, सामाजिक वस्तुओं एवं सेवाओं पर समान पहुँच आदि आते हैं। सामाजिक समानता में स्वास्थ्य समानता, आर्थिक समानता और लैंगिक समानता भी आती हैं इसके अलावा समान अवसर और समान दायित्व भी इसके अन्तर्गत आते हैं।

लैंगिक समानता
महिलाओं और लड़कियों का सशक्तिकरण और लैंगिक समानता पर विशेष जोर। वर्ष 2000 के बाद संयुक्त राष्ट्र इन मुद्दों पर विशेष रूप से काम कर रहा है। इसके अलावा महिलाओं को रोजगार में शामिल करने और स्वास्थ्य जैसे विषयों पर विशेष ध्यान देने की जरूरत है।

सितम्बर, 2015 में संयुक्त राष्ट्र महासभा की उच्च स्तरीय बैठक में एजेंडा 2030 के अन्तर्गत 17 सतत विकास लक्ष्यों को रखा गया, जिसे भारत सहित 193 देशों ने स्वीकार किया। इन लक्ष्यों में लैंगिक समानता को भी शामिल किया गया। जाहिर है कि हमारे समाज के विकास के लिए लैंगिक समानता कितनी जरूरी है। महिला और पुरूष समाज के मूलाधार हैं और समानता एक सुन्दर और सुरक्षित समाज की वो नींव है जिस पर विकास रूपी इमारत बनाई जा सकती है। लैगिंक समानता के बीच में भेदभाव की सोच समझकर बनाई गई एक खाई है, जिससे समानता तक जाने का सफर बहुत मुश्किल भरा हुआ बन जाता है।

हमारे देश में लिंग आधारित भेदभाव बहुत व्यापक स्तर पर काम कर रहा है। जन्म से लेकर मौत तक, शिक्षा से लेकर रोजगार तक, हर जगह लैंगिक भेदभाव साफ–साफ नजर आता है। इस भेदभाव को कायम रखने में सामाजिक और राजनीतिक पहलू बहुत बड़ी भूमिका निभाते हैं। वर्ल्ड इकनोमिक फोरम द्वारा 2017 के ग्लोबल जेंडर गैप इंडेक्स की बात करें तो भारत 144 देशों की सूची में 108 नम्बर पर आता है। इस रैंक से ये साफ तौर पर अंदाजा लगा सकते हैं कि हमारे देश में लैंगिक भेदभाव की जड़ें कितनी मजबूत और गहरी हैं।

इस मुद्दे को स्पष्ट करने के लिए मैं कुछ तथ्यों पर ही प्रकाश डालना चाहूंगी।

शेष दुनिया के विपरीत, भारत में महिलाओं की अपेक्षा पुरूष अधिक हैं – 933 महिलाओं के मुकाबले 1000 पुरूष। ऐसा इसलिए क्योंकि कई लड़कियाँ वयस्क होने से पूर्व ही मर जाती हैं। अधिकांश महिलाएँ एवं लड़कियाँ जीवन के अधिकांश समय में आवश्यकता से बहुत कम आहार लेती हैं। विशेषज्ञ इस दशा को 'आहारजन्य तनाव' कहते हैं। यथार्थतः आज भी महिलाएँ सबसे अंत में, और बचा–खुचा खाती हैं। भारत में सिर्फ 54 प्रतिशत महिलाएँ शिक्षित हैं। लड़कों की तुलना में मात्र आधी लड़कियाँ स्कूलों में नामांकित होती हैं और अधिकांश स्कूली शिक्षा पूरी करने से पूर्व ही स्कूल छोड़ जाती हैं क्योंकि उन्हें घर के काम और छोटे बच्चों की देखभाल करनी पड़ती है। अधिकांश भारतीय लड़कियाँ 17 वर्ष की आयु तक विवाहित हो जाती हैं और 22 की होते–होते उनके

अधिक नहीं, तो दो बच्चे तो हो ही जाते है। हालांकि महिलाएं दिन–रात काम करती हैं – यथार्थत पुरूषों से अधिक – पर सिर्फ 20 प्रतिशत महिलाएँ पारिश्रमिक (आर्थिक लाभ) मिलने वाले कामों में लगी हैं; और जो हैं भी उन्हें पुरूषों की तुलना में बहुत कम पारिश्रमिक मिलता है। यह बात दीगर है कि भारत में कानून है जो समान काम के लिए समान पारिश्रमिक सुनिश्चित करता है।

उन्नीस सौ साठ एवं सत्तर के दशकों के उत्तरार्द्ध में देश में महिलाओं का सक्रिय आंदोलन फिर से जागृत हुआ। उतराखंड में सरलाबेन और मीराबेन के नेतृत्व में शराब–विरोध; पश्चिम बंगाल में नक्सलबाड़ी; गुजरात में नव–निर्माण आंदोलन; अहमदाबाद में स्व–नियोजित महिला संघ (देश की प्रथम महिला ट्रेड यूनियन) की स्थापना आदि छोटे–बड़े संघर्षों की श्रृंखला थी जिसने एक तूफान ला दिया। उन्हीं दिनों अन्तर्राष्ट्रीय एवं राष्ट्रीय पहलों के रूप में दो–चार उत्प्रेरकों ने इस सक्रियता को और बल दिया। इनमें प्रमुख थे राष्ट्र संघ द्वारा 1975 से 1985 की अवधि को 'राष्ट्र संघ महिला दशक' घोषित किया जाना; और केन्द्र सरकार द्वारा भारतीय नारी की दशा पर एक समीति का गठन। उक्त समिति द्वारा तैयार की गई ऐतहासिक रिपोर्ट–समानता की ओर ;ज्वूंतक म्नंसपजलद्धए सरकार के नीति–निर्माताओं के लिए तत्काल एक कसौटी बन गई। लेकिन महत्वपूर्ण बात यह थी कि समीति ने कई मामलों में महिलाओं की बदतर होती दशा और उनकी बढ़ती दासता पर ध्यान आकृष्ट किया।

रोजगार के क्षेत्र में लैंगिक भेदभाव को दूर करने के लिए समान पारिश्रमिक अधिनियम, 1976 लागू किया जा चुका है लेकिन कानून लागू होने के बाद भी रोजगार के क्षेत्र में लैंगिक भेदभाव की खाई की गहराइयों को स्पष्ट रूप से मापा जा सकता है। मॉन्स्टर सैलीर इंडेक्स के 2016 के आंकडों पर नजर डाले तो समझ आता है कि एक जैसे कार्य के लिए भी भारत में महिलाएँ 25 फीसदी कम वेतन पाती हैं। रोजगार के अलग–अलग क्षेत्र में लैंगिक भेदभाव आधारित वेतन में अन्तर भी अलग–अलग है। सूचना एवं तकनीक क्षेत्र से लेकर मनोरंजन के क्षेत्र तक हर जगह पर महिलाओं को पारिश्रमिक से जुड़े भेदभाव का सामना करना पड़ता है। भेदभाव एक तरफ तो वेतन में हो रहा है वहीं दूसरी तरफ, महिलाओं के काम को कम आंकने में भी इसकी अहम भूमिका है। लिंग के आधार पर होने वाले भेदभाव असंगठित और संगठित दोनों ही क्षेत्रों में मौजूद है।

मनोरंजन में लैंगिक भेदभाव

अगर बात करें मनोरंजन के क्षेत्र की तो अभिनेत्रियों को भी इस भेदभाव का शिकार होना पड़ता है। अक्सर फिल्मों में अभिनेत्रियों को मुख्य नहीं समझा जाता और उन्हें पारिश्रमिक भी अभिनेताओं की तुलना में कम मिलता है। इस समस्या पर बहुत सी अभिनेत्रियों ने अपनी नाराजगी भी जाहिर की है। अभिनेत्री सोनाक्षी सिन्हा ने भी इस भेदभाव पर कहा कि 'आजकल की महिलाएँ अपने अधिकारों को लेकर काफी मुखर हैं और मै सिर्फ फिल्म उद्योग में ही बदलाव नहीं चाहती बल्कि खेल या व्यापार या किसी भी अन्य पेशे में महिलाओं के लिए समान वेतन चाहती हूँ।''

खेल की दुनिया में भी लैंगिक भेदभाव का बीज

गांव हो या शहर काम से लेकर व्यवहार तक समाज का भेदभावपूर्ण रवैया हर दूसरी जगह देखा जा सकता है। अगर हम खेलों की बात करें तो वहां भी भेदभाव कुंडली मारकर बैठा हुआ है। खेलों में मिलने वाली ईनामी राशि पुरूष खिलाड़ियों की बजाय महिलाओं खिलाड़ियों को कम मिलती है। चाहे कुश्ती हो या क्रिकेट हर खेल में भेदभाव का समीकरण काम करता है। इसके साथ ही, पुरूषों के खेलों का प्रसारण भी महिलाओं के खेलों से ज्यादा है।

आज हम विश्व स्तर पर सतत विकास में लैंगिक भेदभाव को दूर करने की बात कर रहे हैं। वहीं दूसरी तरफ लैंगिक भेदभाव की जडें सामाजिक और राजनीतिक कारणों से मजबूती पकड़ रही है। ऐसे में हमें सोचना होगा कि कैसे हम लैंगिक समानता की मंजिल तक पहुँच कर विश्व में सतत विकास का सपना पूरा कर पाऐगे ? या फिर एक बार लैंगिक असमानता हमारे लिए एक बड़ी चुनौती साबित होगी। एक शांतिपूर्ण एवं सुन्दर विश्व की कल्पना बिना लैंगिक समानता के नहीं की जा सकती।

महिलाओं को समानता का हक दिए बगैर नहीं हो सकता सतत विकास–इंदौर–

सतत विकास लक्ष्यों को हासिल करने के लिए दक्षिण एशियाई मुल्कों में क्षेत्रीय समन्वय पर जोर देते हुए लोकसभा अध्यक्ष सुमित्रा महाजन ने कहा कि ये लक्ष्य प्राप्त कर आर्थिक वृद्वि, सामाजिक विकास और पर्यावरण संरक्षण क्षेत्रों में सतुंलन स्थापित किया जा सकता है।

भारत की लोकसभा अध्यक्ष ने यह भी कहा कि खासकर मेहनतकश महिलाएँ जलवायु परिवर्तन के खतरों का सबसे ज्यादा सामना कर रही हैं क्योंकि उन्हें भोजन, पेयजल और ईंधन की तलाश के साथ खेती में घंटों पसीना बहाना पडता है। दक्षिण एशियाई देशों के स्पीकर सम्मेलन में इंदौर घोषणा पत्र जारी हुआ जिसमें सभी देशों ने आपदा प्रबंधन, लैंगिक समानता के लिए मिलकर काम करने की सहमति दी।

समापन अवसर पर लोकसभा स्पीकर सुमित्रा महाजन ने कहा कि महिला को सम्मान और समानता से जीने का अधिकार हैं। उन्हें बराबरी के साथ शिक्षा लेने, आर्थिक संसाधन और रोजगार के अवसर मिलने चाहिए। महिलाओं को समानता का हक दिए बगैर सम्मान संभव नहीं है। सतत विकास के लक्ष्यों को हासिल करने में लैंगिक समानता को महत्वपूर्ण करार देते हुए सुमित्रा महाजन ने कहा कि एक महिला को पढ़ा कर पूरे समाज को शिक्षित किया जा सकता है। उन्होंने कहा कि महिलाओं को सशक्त करने के लिए उन्हें उनके बुनियादी आधार प्रदान करने, बाल–विवाह पर पूरी तरह रोक लगाने और स्वास्थ्य सुविधाओं तक उनकी पहुंच बढ़ाने जैसी बातों पर ध्यान केन्द्रित किए जाने की आवश्यकता है।

भारत में जेंडर बजटिंगःमहिला सशक्तिकरण का उपाय

जेंडर बजटिंग या महिलोन्मुखी बजट–

महिलोन्मुखी बजट से तात्पर्य एक ऐसे बजट से है जिसके माध्यम से समाज में स्त्री पुरूष पैटर्नों को समझ कर ऐसी नीतियों और कार्यक्रमो के कार्यान्वयन हेतुधनराशि आंबटित की जाती है जिनसे इन पैटर्नों में परिवर्तन लाकर समाज में स्त्री पुरूष समानता स्थापित की जा सके। जेंडर बजटिंग एक लेखांकन कार्य नहीं है, बल्कि एक सतत प्रक्रिया है जिसके माध्यम से यह सुनिश्चित किया जाता है कि विकास के लाभ पुरूषों के बराबर महिलाओं को भी प्राप्त हो। जेंडर बजट आयोजना के अतंर्गत स्त्री पुरूष असमानता के प्रभावों का पता लगाने तथा महिलाओं के प्रति प्रतिबद्वताओं को बजटीय प्रतिबद्वताओं के परिणत करने हेतु सरकारी बजट का आंबटन किया जाता है। इस प्रक्रिया के अंतर्गत अलग से बजट नहीं बनाया जाता बल्कि महिलाओं की विशेष जरूरतों को पूरा करने के लिए सकारात्मक कार्यवाही का प्रावधान किया जाता है। इसमें महिलाओं के लिए संसाधनो के आबंटन से इतर जेंडर परिप्रेक्ष्य से महिलाओं को आंबटित संसाधनों के उपयोग पर नजर रखना, प्रभावों का विश्लेषण तथा सार्वजनिक नीतियों से लाभार्थियों

की संख्या का विश्लेषण करना आदि सम्मिलित है। इस प्रकार जेंडर बजट आयोजना के अतंर्गत निम्नलिखित महत्वपूर्ण कार्यकलाप शामिल हैं–

(क) पर्याप्त संसाधनों के आबंटन तथा महिला संवेदी कार्यक्रमों के निर्माण और कार्यान्वयन के माध्यम से महिलाओं के प्रति नीतिगत प्रतिबद्वताओं और उनके लिए किए जाने वाले आबंटनों के बीच के अंतर को खत्म करना।

(ख) सार्वजनिक व्यय और नीति में महिला सरोकारों को मुख्यधारा में लाना।

(ग) सार्वजनिक व्यय और कार्यक्रमों के कार्यान्वयन तथा नीतियों का जेंडर ऑडिट कराया जाए।

जेंडर बजटिंग के माध्यम से महिला पुरूष समानता

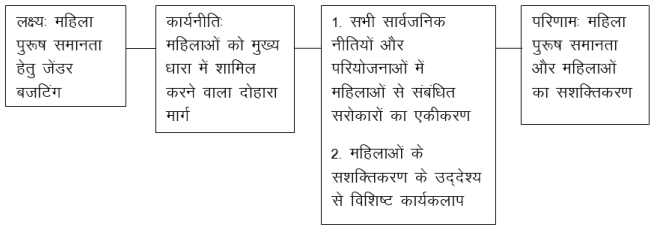

जेंडर पर बल क्यों

- महिलाएँ देश की कुल जनसंख्या का 49 प्रतिशत है।
- महिलाओं को सेवाओं और संसाधनों तक पहुँच और नियत्रंण में असमानताओं का सामना करना पड़ता है।
- महिलाओं की विशिष्ट जरूरतें हैं जिन्हें विशेष रूप से पूरा किया जाने की आवश्यकता है।
- अधिकांश सार्वजनिक व्यय और नीतिगत सरोकार ''स्त्री–पुरूष निरपेक्ष– क्षेत्रों'' में होते हैं।

समाज की बेरूखी

भारतीय समाज महिलाओं के मुद्दो को किस तरह नजर अंदाज कर रहा है, यह इस बात से पता चलता है कि सालों से चल रही बहस के बावजूद महिलाओं के लिए संसद में सीटों के लिए आरक्षण के मुद्दे पर राजनीतिक दलों के बीच सहमति नहीं बन पाई है। कुछ राजनीतिक दल इसका खुलकर विरोध कर रहे हैं जबकि दूसरे अवसरवादी कारणों से इस जोर नहीं दे रहे हैं। इतना ही नहीं कोई भी राजनीतिक पार्टी संगठन की संरचना में महिलाओं का प्रतिनिधित्व बढ़ाने की कोई गंभीर कोशिश नहीं कर रही है। भारत राजनीतिक और आर्थिक नेतृत्व में भी लैंगिक विषमता का सामना कर रहा है। आधुनिक कारोबार में पुरूषों और महिलाओं की भागीदारी का महत्व बढ़ गया है और बहुराष्ट्रीय भारतीय कंपनियाँ महिला मैनेजरों को आकर्षित करने का प्रयास भी कर रही है लेकिन अभी भी शेयर बाजार में रजिस्टर्ड भारतीय कम्पनियों के बोर्डरूम में महिला मैंनेजरों की संख्या सिर्फ तीन फीसदी है। हम लोगों की सोच में बदलाव की कामना या माँग करते हैं ''यदि महिलाओं की आर्थिक दशा सुधरती है तो उनकी मुश्किलें भी कम होगी।''

निष्कर्ष

'समानता की ओर' ;ज्वूंतक म्नंसपजलद्ध के बाद सन् 1988 में लोक से हटकर एक अन्य रिपोर्ट, 'श्रम शक्ति' आई। यह भारत के अनौपचारिक या असंगठित क्षेत्र में कार्यरत महिलाओं पर एक विस्तृत अध्ययन था। वस्तुतः इसी क्षेत्र में लगभग 90 प्रतिशत महिलाएँ काम करती हैं। इन रिपोर्टो के प्रकाशन एवं निष्कर्षों ने नारी आंदोलन एवं महिला अध्ययन सदृश अपेक्षाकृत नए विषयों दोनों को प्रखर बना दिया। नारीवादियों को लगा कि जमीनी सच्चाई से जूझने के लिए उन्हें ठोस सूचना और उसके विश्लेषण की आवश्यकता थी। अब शोधकर्ताओं एवं शिक्षाविदों ने महिलाओं की आपबीती एवं तत्संबधी प्रयोगाश्रित आंकडो के आधार पर तुलनात्मक अध्ययन, विश्लेषण एवं सिद्धांत प्रतिपादन की महता समझी। उन्हें महिलाओं के वास्तविक सशक्तीकरण के लिए नीतियों एवं कार्यक्रमों के विकास पर ध्यान देने के लिए बाध्य कर दिया ताकि महिलाओं को देश के सामाजिक, आर्थिक एवं राजनीतिक जीवन में अधिकाधिक स्थान मिल सके। इस संदर्भ में आंदोलन के महत्वपूर्ण योगदान और इसके दूरगामी प्रभावों के विस्तृत वर्णन की यहां आवश्यकता नहीं है। इतना कहना ही पर्याप्त है कि यह बीसवीं सदी के अति महत्वपूर्ण सामाजिक एवं राजनीतिक आंदोलनों में एक है।

विश्वविद्यालयों के अंतर्गत लक्ष्मण रेखा पार करने का श्रेय निस्संदेह उन नारीवादी शिक्षकों एवं शोधार्थियों को जाता है जिन्होंने मूलपाठ (टेक्स्ट) की रचना में व्यापक परिवर्तन किए हैं; विषयी रूढ़ियों को चुनौती दी है; पद्धतियों में नयापन दिया है; और सभी अनुशासनों में लैंगिक भेदभाव दूर करने के उद्देश्य से शैक्षणिक संस्थानों में जगह बनाने के लिए संघर्ष किया है। संभव है इस सक्रियता के लिए उन्हें सर्वप्रथम अपने शोध एवं शिक्षा पर पुनर्विचार करने के लिए उद्यत किया हो। अपने काम के साथ–साथ उन्होंने दहेज के विरूद्ध और लैंगिक समानता के लिए संघर्ष जारी रखा। उन्होंने भारतीय नारी की दशा का अध्ययन किया; अनुशंसाएं दी; संकल्प लिया और लिंग न्याय के मुद्दे पर न्यायालय का दरवाजा खटखटाया।

संदर्भ

1. सामाजिक और राजनीतिक जीवन–2 कक्षा 7– मौलिक शिक्षा विभाग हरियाणा – पेज न0 43
2. अनमोल हैं बेटियां (कविता संग्रह) – राजेश भारती – पेज न0 6
3. समानता–विकिपिडिया – https://hi.m.wikipeida.org.
4. इंदौर में शार्क देशों के संसद अध्यक्षों का सम्मेलन – 18–20 फरवरी 2017
5. कर्मठ महिलाएँ – रितु मेनन पेज न0 10
6. उपरिवत् – पेज न0 11
7. महिला एवं बाल विकास मंत्रालय, भारत सरकार – जेंडर बजटिंग हैंड बुक (2015)
8. महिला एवं बाल विकास मंत्रालय, ग्यारवीं योजना अवधि के दौरान कार्यनिष्पादन – जेंडर बजटिंग स्कीम का मूल्यांकन
9. कर्मठ महिलाएँ – रितुमेनन – पेज न0 11, 12